निविदा सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 14 नवम्बर, 2024 से 20 नवम्बर, 2024 तक राज्य स्तरीय 72 वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला–2024 आयोजित किया जाना है। जिसके सफल संचालन हेतु निम्नलिखित तालिका के अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि व समय	निविदा प्रपत्र डालने की तिथि व समय	निविदा प्रपत्र खोले जाने की तिथि व समय	निविदा धरोहर धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	72 वें गौचर मेले की कैन्टीन संचालन।	रू0 1500.00	दिनांक 10.10.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 24.10.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक	दिनांक 24.10.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 24.10.2024 को अपराह्न 01:00 बजे तक	दिनांक 24.10.2024 को अपराह्न 3:00 बजे	**रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये)**

मेला मैदान में उक्त तिथियों में कार्यक्रम स्थल में मेला कैन्टीन संचालित करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा को दो अलग–अलग मोहर बन्द लिफाफों में (प्रत्येक पर वित्तीय एवं तकनीकी निविदा स्वच्छ अक्षरों में स्पष्ट लिखकर) एक बड़े मोहर बन्द लिफाफे में निर्धारित आवेदन पत्र पर प्रत्येक स्तम्भ को भरकर धरोहर धनराशि की एन.एस.सी./राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. या डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) अथवा डाकघर पासबुक जो उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग/मेलाधिकारी, गौचर मेला 2024 के पक्ष में बंधक रखते हुये **मूल रूप में** लगाना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र दिनांक 10.10.2024 से दिनांक 24.10.2024 पूर्वाहन 11:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा दिनांक 24.10.2024 को अपराहन 01:00 बजे तक इसी कार्यालय में स्थापित निविदा बॉक्स में डाले जा सकते हैं। निविदा उसी दिन दिनांक 24.10.2024 को अपराहन 03:00 बजे निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख खोली जायेगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। मेला समिति को बिना कारण बताए निविदा को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। उक्त कार्य के समस्त विवरण एवं शर्तें निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ प्राप्त की जा सकती हैं। साथ ही निविदा की शर्तो व अन्य जानकारी गौचर मेला–2024 की अधिकारिक बेब साइट website-gauchermela.in से प्राप्त की जा सकती है।

उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग/
मेलाधिकारी, गौचर मेला।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, कर्णप्रयाग/मेलाधिकारी गौचर मेला–2024

E-mail- gaucharmela@gmail.com Website- gauchermela.in Mob no- 8273244209

पत्रांक– 27 /72–वॉ गौचर मेला/2024–25 दिनांक 9 अक्टूबर, 2024

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रभारी अधिकारी नजारत, जिला कार्यालय चमोली, कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी चमोली, समस्त उप जिलाधिकारी कार्यालय/तहसील कार्यालय, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चमोली, समस्त खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय जनपद चमोली, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद चमोली, को नोटिस बोर्ड पर उक्त निविदा आमत्रंण सूचना चस्पा किये जाने हेतु ।
2. सम्पादक, दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि निविदा सूचना को प्रादेशिक संस्करण में न्यूनतम आकार में न्यूनतम शासकीय दरों पर प्रकाशित करते हुए जिला सूचना अधिकारी से बिल सत्यापित करवाते हुए भुगतान हेतु दो प्रतियों में अखबार की कटिंग सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग/
मेलाधिकारी, गौचर मेला।

प्रारूप–01

निविदा फॉर्म संख्या/दिनांक.................................आवेदन फॉर्म शुल्क रू0 रू0 1500.00 (एक हजार, पॉच सौ रूपये मात्र)

गौचर मेला–2024 कैन्टीन संचालन हेतु निविदा फॉर्म

श्रीमान्,

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग/
मेलाधिकारी गौचर मेला–2024

नवीनतम फोटो

1. निविदादाता/फर्म का नाम –.......................................
2. फर्म का जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या–...
3. स्थाई पता–..
4. पत्राचार का पता–.. पिन कोड नम्बर .... फोन/मोबाईल नम्बर...
5. पैन कार्ड संख्याः–...(छाया प्रति संलग्न करें।)
6. वित्तीय वर्ष 2023–24 में जमा किया गया आयकर की राशि रू0 .... (आयकर विवरणी की छाया प्रति संलग्न करें)
7. विगत तीन वर्षो (2021, 2022, 2023) का कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र (छाया प्रति संलग्न करें)
8. धरोहर राशि का एन0एस0सी0/राष्ट्रीकृत बैंकों की एफ0डी0आर0 या डिमान्ड ड्राफ्ट (डी0डी0) अथवा डाकघर बचत पासबुक संख्या.. दिनांक..................रू0.....................................

हस्ताक्षर निविदादाता

घोषणा पत्र

मेरे द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन फॉर्म एवं उसके साथ प्राप्त शर्तो को भली भांति पढ़ लिया गया है। उल्लेखित शर्तो में अकिंत सभी कार्य एवं शर्तो का पालन मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ करने को तैयार हूँ। शर्तो में अंकित सभी भोजन सामग्री समयान्तर्गत तैयार करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा/फर्म का होगा। मेरे द्वारा उक्त कार्य शर्तो के अनुसार समय पर पूर्ण नही किये जाने या उसमें किसी प्रकार की किया कोई अनियमितता पाये जाने पर मेला समिति मेरी धरोहर राशि एवं कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि को जब्त कर मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी और उक्त कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म से कराये जाने में मुझे/फर्म को कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक अक्टूबर, 2024

हस्ताक्षर निविदादाता

प्रारूप–02

राज्य स्तरीय 72–वाँ राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला–2024 में कैंटीन संचालन हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र का प्रारूप

1. क्रमांक...........................
2. दिनांक............................
3. निविदादाता /फर्म का नाम...
4. निविदादाता/फर्म का स्थाई पता...
5. निविदादाता/फर्म का पत्राचार का पता..
6. निविदादाता/फर्म का दूरभाष/मोबाइल न0– ....
7. निविदादाता/फर्म का ई–मेल पता...
8. गौचर मेला–2024 हेतु कैन्टीन संचालन निविदा में दी जाने वाली सामग्रियों की मात्रा व दर का विवरण।

कमांक	सामाग्री का विवरण	दर प्रति यूनिट (जी0एस0टी0 सहित)
1	चाय (150 एम0एल0 प्रति कप)	
2	कॉफी (150 एम0एल0 प्रति कप)	
3	पानी की बोतल– (500 एम0एल0 बिस्लेरी ब्रॉण्ड)	
4	नाश्ता– पूरी–भाजी (प्रति प्लेट 4 पूरी वं सब्जी, अचार सहित)	
6	भोजन फुल थाली–04 रोटी, चावल, सब्जी, दाल, सलाद, अचार सहित	
7	भोजन स्पेशल फुल थाली– 04 रोटी, चावल, सब्जी, पनीर, सब्जी, दाल, पापड़, सलाद, अचार, गुलाब जामुन सहित	
8	बून्दी लड्डू (प्रति किग्रा)	
9	जलेबी (प्रति किग्रा)	
10	टेट्रा पैंक फ्रूट जूस (प्रति 200 एम0एल0)	
11	पनीर पकौडा (प्रति किग्रा)	
12	प्याज पकौड़ा (प्रति किग्रा)	
13	आलू पकौड़ा (प्रति किग्रा)	
14	गोभी पकौड़ा (प्रति किग्रा)	
अनुमानित धनराशि का कुल योग (रूपयों में)–		**अंकों में–**
		शब्दों में–

<u>नोट</u>– वित्तीय निविदा से सम्बन्धित प्रारूप पृथक लिफाफे में बन्द कर जमा करना होगा। जिस पर बाहर से **<u>"वित्तीय निविदा"</u>** अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

निविदादाता/फर्म की मोहर–

हस्ताक्षर–

हस्ताक्षर करने वाले का पूरा नाम–
पूरा पता–
दूरभाष/मो0 न0–

72—वाँ राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गौचर मेला—2024 हेतु कैन्टीन संचालन हेतु निविदा कार्य एवं शर्तों का विवरण

तकनीकी निविदा हेतु अनिवार्य शर्तें –

1. उक्त फॉर्म में अंकित समस्त भोजन सामग्री की दरों का उल्लेख करते हुए धरोहर राशि रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये मात्र) की एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ0डी0आर0 या डिमान्ड ड्राफ्ट (डी0डी0) अथवा डाकघर बचत पासबुक जो उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग/मेलाधिकारी गौचर मेला—2024 के पक्ष में बन्धक हो को **मूल रूप** में जमा करना होगा। धरोहर की धनराशि सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न न होने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. निविदादाता/फर्म को अपने पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं वित्तीय वर्ष (2023—2024) की आयकर विवरणी को संलग्न कर बन्द लिफाफे में नियत तिथि एवं समय पर प्रस्तुत करना होगा।
3. विगत तीन वर्षो (2021, 2022, 2023) का कार्य अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता/फर्म का वार्षिक टर्नओवर धनराशि रू0 7,00,000.00 (रू0 सात लाख मात्र) अथवा उससे अधिक होना आवश्यक है, जिसके लिये इस आशय का एक प्रमाण—पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. निविदादाता/फर्म को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा Food Safety and Standards Act-2006 अन्तर्गत प्रदत्त लाईसेंन्स प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)।

*तकनीकी निविदा हेतु निर्धारित शर्तों सम्बन्धी दस्तावेज/अभिलेख पृथक लिफाफे में बन्द कर जमा करना अनिवार्य होगा। जिस पर "**तकनीकी निविदा लिफाफा**" अंकित करना अनिवार्य होगा।*

अन्य अनिवार्य शर्तें –

1. निविदादाता को कार्यालय से निविदा फॉर्म रूपये **1,500.00 (एक हजार, पॉच सौ रूपये मात्र)** नकद जमा कर प्राप्त करना होगा। फॉर्म शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।
2. निविदा में प्रतिभाग करने वाले जिस निविदादाता/फर्म की वित्तीय निविदा फॉर्म में प्रत्येक सामग्री के यूनिट दरों का कुल योग न्यूनतम पाया जायेगा, समिति द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में निविदा को स्वीकार किया जायेगा।
3. सफल निविदादाता/फर्म को मेला कैन्टीन संचालन हेतु आंवटित भू—भाग का निर्धारित शुल्क रू0 30,000.00 (तीस हजार रूपये मात्र) नकद जमा करने के पश्चात कार्यादेश जारी किया जायेगा।
4. सफल निविदादाता/फर्म को 07 दिनों के भीतर कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि रू0 50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) की एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ0डी0आर0 या डिमान्ड ड्राफ्ट (डी0डी0) अथवा डाकघर पासबुक जो उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग/मेलाधिकारी गौचर मेला—2024 के पक्ष में **मूल में** जमा कराना होगा।
5. कैन्टीन कूपन जारी करने वाले अधिकारी द्वारा कूपन पर अंकित की गई भोजन सामग्री की ही आपूर्ति करनी होगी। कूपन की द्वितीय प्रति से कूपन का मिलान करने पर आपूर्ति की गई भोजन सामग्री सही नहीं पायी जाती है तो उस कूपन का भुगतान नही किया जायेगा।
6. निर्धारित कूपन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की पर्ची स्वीकार्य नहीं होगी और ना ही उसका भुगतान किया जायेगा। चाहे वह पर्ची किसी भी अधिकारी द्वारा जारी क्यों नहीं की गई हो। मात्र गौचर मेला—2024 हेतु निर्धारित कूपन ही स्वीकार्य होगा और उस कूपन पर अंकित सामग्री का ही भुगतान किया जायेगा।
7. निर्गत किये गये समस्त कूपनों को सुरक्षित रखने का दायित्व निविदादाता/कैन्टीन संचालक का होगा। यदि कोई कूपन खो जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/कैन्टीन संचालक की होगी।
8. निविदादाता/कैन्टीन संचालक द्वारा कैन्टीन के चारों ओर अनिवार्य रूप से दैनिक साफ—सफाई स्वंय रखनी होगी।
9. कैन्टीन परिसर में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण एवं सामग्री भी अनिवार्य रूप से रखनी होगी।
10. कैन्टीन में बनने वाली सभी भोजन सामग्री की दरों की सूची चस्पा करनी होगी।
11. कैन्टीन में बैठने हेतु पर्याप्त मात्रा में कुर्सी, मेज की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
12. निविदादाता/कैन्टीन संचालक द्वारा निविदा में उल्लेखित समस्त भोजन सामग्री को मेला प्रारम्भ होने से मेले के समापन तक प्रत्येक तैयार रखते हुये आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा।
13. कैन्टीन में सामग्री (पैक्डस् फूड) का विकय M.R.P. से अधिक पर नही किया जायेगा और नहीं Expired सामग्री का विकय किया जायेगा।

14. मेला कैन्टीन में प्रत्येक दिन तैयार होने वाली भोजन सामग्री की जांच किसी भी समय खाद्य सुरक्षा विभाग से करवायी जा सकती है। भोजन सामग्री की जांच के दौरान कोई कमी पाये जाने पर मेला समिति द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

15. निविदादाता/फर्म को मेले के दौरान उपलब्ध भोजन/खाद्य सामाग्री की गुणवता में कोई कमी या शिकायत मिलने पर तत्काल उसका निराकरण/सामाधान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में मेला समिति भुगतान में कटौती सम्बन्धी निर्णय ले सकती है।

16. दिनांक 14.11.2024 से 20.11.2024 की अवधि के दौरान आने वाले वी0आई0पी0/वी0वी0आई0पी0 अतिथियों के लिए चाय, कॉफी, पानी, अन्य सामग्री मांग के अनुसार तत्काल उपलब्ध करानी होगी। इस हेतु अतिथियों की गरिमा के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में कॉकरी एवं टी–सेट इत्यादि उपलब्ध करानी होगी।

17. मेला कैन्टीन को अनिवार्य रूप से दिनॉक 13.11.2024 को सायं 2.00 बजे तक पूर्ण कर तैयार करना होगा।

18. मेला कैन्टीन में किसी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं रखा जायेगा ना ही कैन्टीन के अन्दर किसी को भी नशीले पदार्थ सेवन करने की इजाजत दी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति सेवन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुये निविदादाता/कैन्टीन संचालक से रू0 5,000.00 (पॉच हजार रूपये मात्र) का अर्थदण्ड वसूला जायेगा।

19. निविदादाता का स्वयं के द्वारा मेला मैदान पर मेला कैन्टीन का इन्श्योरेन्स धनराशि रू0 50,00,000.00 (पचास लाख रूपये मात्र) भी कराया जाना अनिवार्य होगा।

20. निविदादाता को मेला मैदान पर मेला कैन्टीन को मेला समाप्ति के उपरान्त दो दिन अन्दर दिनांक 22.11.2024 को सांय 05:00 बजे तक प्रत्येक दशा में मेला मैदान से हटा कर मेला मैदान खाली करना होगा। अन्यथा कि दशा में मेला समिति द्वारा अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

21. निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

दिनांक– 10 अक्टूबर, 2024
स्थान– कर्णप्रयाग।

उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग/
मेलाधिकारी, गौचर मेला।